85/2016 जिला कलेक्टर

अपील सूचना अधिकार संख्या 85/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर

A3/1

07-02-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 21.03.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से जिस प्रकार से सूचनांए चाही गयी थी उस प्रकार से उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 21.03.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थी:-

> 1. तत्कालीन आयुक्त नगरपरिषद श्रीगंगानगर करतारसिंह पूनियां ने अपने पत्रांक 1659-61 दिनांक 15.04.2015 से प्रार्थी को अवगत करता है कि बीएलओ श्री सुभाष गोयल भाग संख्या 80 के चुनाव में डयूटी लगाने के आदेश तहसीलदार द्वारा राजस्व विभाग द्वारा जारी किये गये है अतः तहसीलदार से सूचना प्रदान करे।
> उक्त सूचना जिस विभागीय आदेश/पत्र/उपजिला निर्वाचन अधिकारी उपजिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश या अन्य आदेश के आधार पर प्रार्थी को उपलब्ध करायी गयी थी, उसकी सूचना व आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी तत्कालीन आयुक्त के शपथ पत्र सहित।
> 2. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 3717 दिनांक 07.07.2015 प्रथम अपील संख्या 83/2015 में यह सूचना उपलब्ध करवायी है कि भाग संख्या 80 बीएलओ (श्री सुभाष गोयल) की नियुक्ति आदेश इस कार्यालय से नही हुई है।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से टिप्पणी एवं रिकार्ड चाहा गया तो उनके द्वारा अध्यक्ष, नगर परिषद श्रीगंगानगर को लिखा गया कि आवेदक का मूल आवेदन पत्र उनके कार्यालय के पत्र सं0 565 दिनांक 28.03.16 से लोक सूचना अधिकारी, नगर परिषद श्रीगंगानगर को भिजवाया गया है मूल अपील आपके श्रवणाधिकार की होने के कारण आपको भिजवायी जा रही है जिसका समय सीमा में निस्तारण कर अपीलार्थी को अवगत करवावे एवं पत्र की प्रति जरिये पत्रांक 1020 दिनांक 25.05.16 से इस कार्यालय को प्रेषित की है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) का प्रा0 पत्र दिनांक 21.03.2016 का प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रा0 पत्र में चाही गई सूचनाओं के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को कोई उत्तर दिया जाना प्रतीत नही होता है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

PTO

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

85/2016

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में नियमानुसार आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर नियमानुसार निर्णय करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 07.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर